

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

01.12.2023

मिसल नम्बर
103/2023 प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा

26.09.2023

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंकप्रार्थी

बनाम

1-श्री वीरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन निवासी बडा तख्ता रघुनाथपुरी टोंक जिला
टोंक विक्रेता मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.।
पिनकोड-304001 मोबाईल नं. 8104199600

2-श्रीमति उषा जैन पत्नि श्री धर्मेन्द्र जैन निवासी रघुनाथपुरी बडा तख्ता टोंक जिला टोंक
विक्रेता मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.।
पिनकोड-304001

3-मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.।

4-श्री राजेन्द्र प्रसाद डंगायच पुत्र श्री बैजनाथ डंगायच निवासी 1/483, विद्याधर नगर
जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स सावन एन्टरप्राइजेज जी-15 शुभम अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर
जयपुर राज.। पिनकोड-302039

5-मैसर्स सावन एन्टरप्राइजेज जी-15 शुभम अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर जयपुर राज.

6-श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री एस. के. गुप्ता निवासी 55, दया नन्द विहार, करकरडूमा, पूर्वी
दिल्ली, दिल्ली डायरेक्टर मैसर्स रामसन्स फूड लिमिटेड 321 खजूर रोड करोल बाग नई
दिल्ली। पिनकोड-110005/ग्राउण्ड फ्लोर सी-188, सेक्टर-108, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,
उत्तरप्रदेश। पिनकोड- 201301

7-मैसर्स रामसन्स फूड लिमिटेड 321 खजूर रोड करोल बाग नई दिल्ली।
पिनकोड-110005/ग्राउण्ड फ्लोर सी-188, सेक्टर-108, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,
उत्तरप्रदेश। पिनकोड-201301

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थीगण व निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री सन्तोष सिंह उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 01.12.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 01.03.2023 को समय 01:30 पीएम पर मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स नजर बाग रोड बडा
कुंआ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री वीरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन
मैसर्स को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री वीरेन्द्र कुमार जैन ने



स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के कार्टून में लगभग 18-19 पैकेट पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 एम.एल. पैक घी (रामसन्स ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री वीरेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री वीरेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह घी (रामसन्स ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 41 एवं पैकिंग की दिनांक फरवरी 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500-500 एम.एल. के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (रामसन्स ब्राण्ड) 500-500 एम.एल. के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों एक-एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3476 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3476 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री वीरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सावन एन्टरप्राइजेज जी-15 शुभम अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स सावन एन्टरप्राइजेज ने मैसर्स रामसन्स फूड लिमिटेड 321 खजूर रोड करोल बाग नई दिल्ली का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/646 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /541/एक्ट/2023/623 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की



जांच करवाने हेतु कय किया गया घी (रामसन्स ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण व निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस घी (रामसन्स ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया घी (रामसन्स ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0